



उत्तर प्रदेश UTT

482305



1. भूमि का प्रकार - कृषि भूमि ✓
 2. मौहल्ला/ग्राम...मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा
 3. मापन की इकई (हैक्टेयर) रकबा 1.326 हैक्टेयर
 4. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
 5. पेड़ों का मूल्यांकन..नहीं
 6. बोरिंग/कुआ/अन्य..नहीं
 7. प्रतिफल की धनराशि...3934000/-रुपये
 8. स्टाम्प हेतु मालियत 3934000/-रुपये
 9. स्टाम्प देय 393400/-रुपये
 10. सरकारी दर भूमि सड़क से दूर 1200000/-रुपये प्रतिएकड़ जो संशोधित नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं० 4 क्रमांक 29 पर दर्ज है।
- कार्यक्षेत्र उ०नि० मथुरा -प्रथम

आपका रोशन



Answer

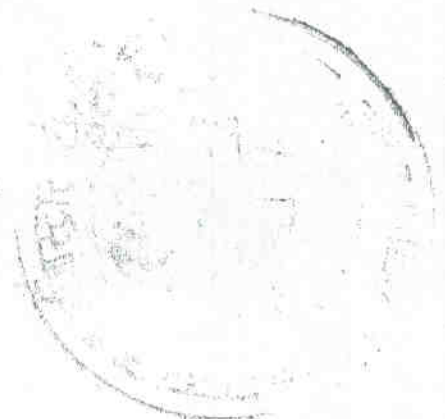


क्रमांक II दिनांक 10/11/88 मूल्य 25000/-

प्राप्त की प्रताप सिंह डा० श्री मोहन सिंह
पता मोती कुंज रजिस्ट्रार मालगी. भुय

नोट 10/11/88

डॉ० नरेश कुमार जायसवाल
सहा० रोकडिया
कोषागार, मथुरा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

482306



(2)

विक्रेता की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

रोशन पुत्र श्री तेजा निवासी नगला पापरी भागग्राम दतिया तहसील व जिला मथुरा

क्रेता की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा

मौजूद रोशन

Amrakes



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

482307



(3)

मैं कि रोशन पुत्र श्री तेजा निवासी नगला पापरी भागग्राम दतिया तहसील व जिला मथुरा का हूँ।

जो कि आराजी सक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर-390 व खसरा नंबर-89 रकवा 0.983 हैक्टेयर व खसरा नंबर-109 रकवा 0.343 हैक्टेयर कुल दो किता रकवा 1.326 हैक्टेयर लगानी 21.85 रुपया सालाना बाकै मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा

रुपेश रोशन



Pranav





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

482308



(4)

मिलिकयत मेरी है और सरकारी कागजात माल में मेरा नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। जिस पर मेरा कब्जा है और जिसके विषय में मुझको हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है जिसमें सिवाय मेरे अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो मेरे इस बैनामा करने में कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी

रुपिण शेशन



Harman





482309



(5)

भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिल्कियत मेरी ही है कृषी से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में मेरा सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रुपये को कहीं भी लगा देने से

अशोक शर्मा



अमर





उत्तर प्रदेश-UTTAR PRADESH

482310



(6)

मुझको एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी अतः उक्त आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो मुझको प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 3934000/-उन्तालीस लाख चौतीस हजार रुपये जिसके आधे 1967000/-उन्नीस लाख सड़सठ हजार

2007/10/21/19

Amr



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

482311



(7)

रुपया होते हैं। बदस्त प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बै

मौहर सिंह

Pranav



482312

(8)

कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का 3900000/-रुपये खरीदार से
इलाहाबाद बैंक मथुरा शाखा के ग्यारह किता चैक प्रथम नंबर-406276 दिनांक-28.2.

मथुरा शाखा

मथुरा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

482313



(9)

2007 तादादी 500000/-रुपये द्वितीय नंबर-406277 दिनांक-28.2.2007 तादादी 500000/-रुपये व तृतीय नंबर-406278 दिनांक-1.3.2007 तादादी 500000/-रुपये





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

482314



(10)

व चतुर्थ नंबर-406298 दिनांक-15.3.2007 तादादी 400000/-रुपये पंचम चैक
संख्या-330020 तादादी 300000/-रुपये व छटा नंबर-658311 तादादी

कॉमिश्नर गैर न्यायिक



Signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

482315



11)

300000/-रुपये व सप्तम नंबर-658312 तादादी 300000/-रुपये व अष्टम नंबर-658313 तादादी 300000/-रुपये व नवम नंबर-658314 तादादी 300000/-रुपये

रविशंकर


Ramawar




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

482316



12

व दसम नंबर-658315 तादादी 300000/-रुपये व ग्यारहवां नंबर-658316 तादादी 200000/-रुपये द्वारा पाये व 34000/-रुपये नकद पाकर बेची गई उक्त आराजी

मो/को रोशनी

मामा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

482317



13

पर खरीदार का बाक़ कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावे

रजि. रेशम



Approved





उत्तर प्रदेश UTTAR-PRADESH

482318

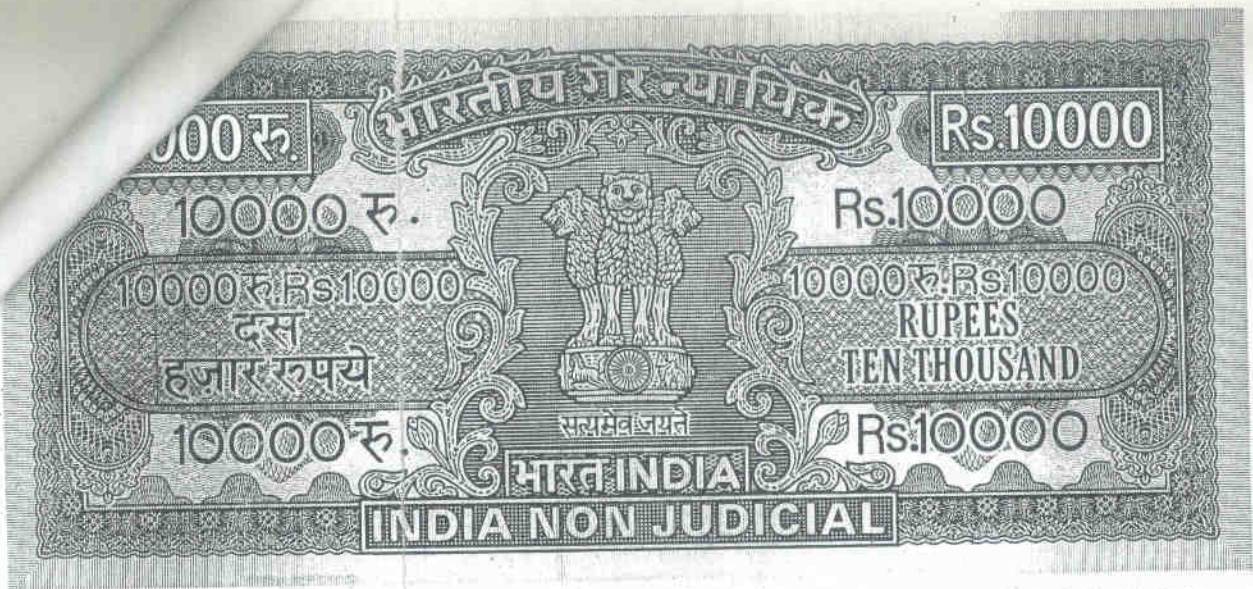


14

और स्वयं जो चाहे सो करें अब मुझको व मेरे वारिसानों को बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि

मो. रोशन


R. G. G. G.

06AA 364064



15

बेची गई उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो
या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कच्चा खरीदार से निकल जावे या

201/10/2010

Amrinder





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 457520



16

खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करंदा रूपया मय जर समन व जर लागत





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 457521



17

व सूद व हर्जा खरीदार सब मेरे जिम्मे है और खरीदार वह सब मुझसे व मेरे वारिसानों
व मेरी चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्चे के बसूल करलें । आराजी एक

रुपिण शिवा


Ramach




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 457522

7 JAN. 2008

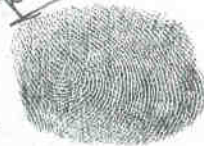
18

फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के

शरीफ शरीफ



Sharma





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 478358

9 JAN 2000

19

सदस्य है। खरीदार अपना दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में करालें जिसमें मुझ
विक्रेता की पूर्ण रजामन्दी व स्वीकृति है। विक्रेता अपनी उक्त आंराजी के बेचने का

अशोक राशग


Amawal




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 478385

1 JAN 2008

20

सौदा अन्य किसी भी व्यक्ति से तय नहीं किया है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट

20/10/2007



Pranav





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 478386

21

ने किया है। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा

कृ. गि. राशि


Ramesh




D 010306

22

है। अब विक्रेता उक्त खसरा नंबरान में कोई भी अंश भूमि शेष नहीं है मुख्तारनामा
आम दिनांक-30.12.2003 जिसका निबधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर-4

रामेश शर्मा


Ramawar




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 010307



23

जिल्हा 33 के सफा 163/166 नंबर-560 पर दिनांक-30.12.2003 हुआ है, के द्वारा मुझ राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा को क्रेता

राम अग्रवाल



Homawal



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 010308



24

श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मोहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बैनामा कराने कीमत का रुपया अदा करने व बैनामा रजिस्ट्री कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

कृष्ण शर्मा



Pranav





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 584155

25

लिहाजा यह बैनाना वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक-10:1.2008

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा।

अपना

गोपाल कृष्ण झारिया

गोपाल कृष्ण झारिया

गोपाल कृष्ण झारिया

गोपाल कृष्ण झारिया

गोपाल कृष्ण झारिया

गोपाल कृष्ण झारिया

गोपाल कृष्ण झारिया

गोपाल कृष्ण झारिया

क्र.सं. १६
नाम श्री
संलग्न सं. ४४
१०-१-२००८
२००८

Shard. Chaurasi
शरद चतुर्वेदी राज्या
ला० नं० २८ सन २००७
दफतर रजिस्ट्री, मथुरा

TREASURY-AL
07 JAN 2008
Sir C. S.

आज दिनांक 15/01/2008 को
वही सं 1 जिल्द सं 4766
पृष्ठ सं 217 से 268 पर कमांक 455
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मुकेश श्रीवास्तव
उप-निबन्धक
मथुरा-प्रथम
15/1/2008

